Form No-|||

फर्द अहकाम (नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रायसिंहनगर

प्रेमकुमार बनाम बुधराम आदि

स्म मुकदमा प्रा. पत्र आ. 39 नि. 1 व 2 धारा 151 सीपीसी नम्बर 94 / 2024

जी.सी.एम.एस. आईडी 2024 / 87।

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
3.08.2024	प्रार्थी प्रेमकुमार पुत्र श्री हुणताराम जाति बिश्नोई साकिन 35 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर की ओर से श्री राजाराम धारणिया अधिवक्ता ने वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी के अंतरिम व्यादेश पारित करने हेतु प्रार्थना करने पर प्रार्थीगण को सुना गया। अप्रार्थीगण की तलबी तक अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण पारित कर विवादित भूमि कब्जा काश्त एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी की तरफ से श्री हेतराम बिश्नोई अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजों, वकील प्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती हैं कि वे विवादित भूमि **चक 35 एन.पी. के मु.नं. 10 के कि.नं. 5/1 की 0.114 है., 5/2 की 0.025 है. खाला, 6/1 की 0.101 है. कुल 0.240 है., मु.नं. 28 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है., मु.नं. 26 के कि.नं. 1 ता 4 की 0.887 है. मु.नं. 27 के कि.नं. 5–6–15 की 0.632 है. कुल 7.959 है. भूमि के सम्बन्ध में रिकार्ड व मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी/ जवाब प्रा. पत्र दिनांक 21.08.2024** तक बनाये रखने के आदेश दिये जाते है। पत्रवाली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 21.08.2024 को पेश हो। (सुभाष चन्द्र) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर [मोहर: उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर]	
21/8/24	वकील फरीकेन हाजिर। वकील प्रार्थी एवं उपस्थित होकर निवेदन किया [illegible] भूमि के पक्षों एवं [illegible] के मध्य [illegible] राजीनामा हो चुका है [illegible]	Vet Pr[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

प्रार्थना पत्र ~~[illegible]~~ को आगे नहीं चलाना चाहते
03941-24/17CRL
हैं इस कारण प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर not Press
करने की स्वीकृति प्रदान करें। दिनांक 13/8/24
को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर
निरस्त किया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता के बयानों एवं संलग्न दस्तावेजों
के आधार पर प्रार्थी के प्रा०पत्र [illegible] 03941-24-[illegible] को Not
Press करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त
प्रा०पत्र में जारी दिनांक 13/8/2024 को अस्थाई निषेधाज्ञा
को इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली
नियमानुसार नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.09.30 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner